

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
जहानाबाद, गया एवं पटना।

पटना, दिनांक : 11-1-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड-20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतनादि ईकाईयों में कुल ₹90,00,000/- (नब्बे लाख रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-18(7)ब दिनांक-15.05.17, 24(7)ब दिनांक-31.05.17, 56(7)ब दिनांक-07.09.17, 73(7)ब दिनांक-25.09.17, 81(7)ब दिनांक-25.09.17, 84(7)ब दिनांक-09.10.17, 89(7)ब दिनांक-16.10.17, 111(7)ब दिनांक-11.12.17 एवं 126(7)ब दिनांक-03.01.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतनादि ईकाईयों में कुल ₹90,00,000/- (नब्बे लाख रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।


3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड-20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/ क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।



2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

9. इससे अवमाननावाद संख्या-1674/2012 में हुए न्याय निर्णय के आलोक (अभ्युक्ति में दिये गये सूची अनुसार) में भुगतान किया जायेगा, अगर राशि की कमी होती है तो संबंधित संस्थान में उपलब्ध राशि से जोड़कर भुगतान करें । भुगतान उपरान्त राशि के बचत होने की स्थिति में इस शीर्ष के आवश्यकता आधारित भुगतान भी किया जा सकता है । भुगतानोपरान्त राशि की कमी होने पर अतिरिक्त राशि की मांग विभाग से करेंगे ।


10. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

11. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव




ज्ञापांक : 129 (7) 6


पटना, दिनांक : 11-1-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-03, 07/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



विवरण

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित सदर अस्पताल/अनुमंडल अस्पताल/ सदर प्रमंडलीय अस्पतालों (विपत्र कोड-20-2210011100013) का वेतन भत्ता मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	परिवहन भत्ता (01-05)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	अन्य भत्ता (01-07)	योग वेतन	अभ्युक्ति
									अवमाननावाद संख्या 1674/2012 में हुए आदेश के आलोक में भुगतान हेतु
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
1	जहानाबाद	1200000	1440000	324000	0	12000	24000	3000000	डा० रामजन्म प्रसाद, से०नि० उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, जहानाबाद
1	गया	1200000	1440000	324000	0	12000	24000	3000000	डा० विजय किशोर सिंह, से०नि० चि०पदा०, जयप्रकाश ना० अस्प०, गया (पूर्व पिलग्रीम अस्प०, गया)
1	पटना	1200000	1440000	324000	4000	12000	20000	3000000	डा० निर्मला सक्सेना, से०नि० उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्प०, दानापुर, पटना
	कुल	3600000	4320000	972000	4000	36000	68000	9000000	

(नब्बे लाख) रु. मात्र

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0013-01-01)	1014647000	1001000000	3600000	1004600000	10047000
2	जीवन यापन भत्ता (0013-01-03)	1420505000	1399480000	4320000	1403800000	16705000
3	मकान किराया भत्ता (0013-01-04)	507323000	498292000	972000	499264000	8059000
4	परिवहन भत्ता (0013-01-05)	411000	355000	4000	359000	52000
5	चिकित्सा भत्ता (0013-01-06)	8954000	8758600	36000	8794600	159400
6	अन्य भत्ता (0013-01-07)	20292000	19882000	68000	19950000	342000
7	त्यौहार अग्रिम (0013-01-08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.01.110.0013.01 वेतन	2973132000	2927767600	9000000	2936767600	36364400
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0013-06-01)	2500000	1535624	0	1535624	964376
9	यात्रा व्यय (0013-11-01)	2530000	1660000	0	1660000	870000
10	कार्यालय व्यय (0013-13-01)	9006000	9006000	0	9006000	0
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0013-13-02)	3930000	2105000	0	2105000	1825000
12	दूरभाष (0013-13-03)	5000000	2915000	0	2915000	2085000
13	विद्युत प्रभार (0013-13-04)	58520000	57406000	0	57406000	1114000
14	विधि प्रभार (0013-13-05)	1000000	674367	0	674367	325633
15	वर्दी/ पोषाक (0013-13-06)	997000	997000	0	997000	0
16	विद्युत प्रभार डी.पी.एस. (0013-13-07)	1000	0	0	0	1000
17	किराया गहसूल एवं कर (0013-14-01)	1810000	1810000	0	1810000	0
18	प्रशिक्षण व्यय (0013-20-03)	27000000	0	0	0	27000000
19	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0013-21-01)	27000000	16670000	0	16670000	10330000
20	दवा भंडार (0013-21-02)	395000000	325650000	0	325650000	69350000
21	आहार/ पथ्य (0013-21-03)	220000000	111834622	0	111834622	108165378
22	लघु कार्य (0013-27-01)	1000	0	0	0	1000
23	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0013-27-02)	50000000	8296000	0	8296000	41704000
24	संविदा सेवाएँ (0013-28-02)	1100656000	868644500	0	868644500	232011500
25	मशीनें एवं उपस्कर (0013-52-01)	127600000	52250580	0	52250580	75349420
	कुल योग:-	5005683000	4389222293	9000000	4398222293	607460707

129 (7) ब

11-1-18

सरकार के विशेष सचिव

विपत्र